



(भारत सरकार) GOVERNMENT OF INDIA
(रेल मंत्रालय) MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) RAILWAY BOARD

RBA No. 6/2020
GST Circular No. 3/2020

2018/AC-II/1/57

10th January, 2020

**General Managers
All Zonal Railways/Production Units**

Sub :- GSTIN of IRFC

In continuation to Board's instructions issued vide RBA No. 109/2019 dated 16th December, 2019, it is brought out that IRFC has intimated below mentioned GSTIN in various State/UTs.

S.No.	State/UT	Principal Officer Of Northern Railway	IRFC's GSTIN
1.	Jammu	GM/NR	01AAACI0681C1ZD
2.	Himachal Pradesh	GM/NR	02AAACI0681C1ZB
3.	Punjab	GM/NR	Not yet received
4.	Uttarakhand	GM/NR	05AAACI0681C1Z5
5.	Haryana	GM/NR	06AAACI0681C1Z3
6.	Delhi	GM/NR	07AAACI0681C1Z1
7.	Rajasthan	GM/NWR	08AAACI0681C1ZZ
8.	Uttar Pradesh	GM/NCR	09AAACI0681C1ZX
9.	Bihar	GM/ECR	10AAACI0681C1ZE
10.	Nagaland	GM/NFR	13AAACI0681C1Z8
11.	Mizoram	GM/NFR	Not yet received
12.	Meghalaya	GM/NFR	17AAACI0681C1Z0
13.	Assam	GM/NFR	18AAACI0681C1ZY
14.	West Bengal	GM/ER	19AAACI0681C1ZW
15.	Jharkhand	GM/SER	Not yet received
16.	Odisha	GM/ECOR	21AAACI0681C1ZB
17.	Chattisgarh	GM/SECR	22AAACI0681C1Z9
18.	Madhya Pradesh	GM/WCR	Not yet received
19.	Gujarat	GM/WR	24AAACI0681C1Z5
20.	Maharashtra	GM/CR	27AAACI0681C1ZZ
21.	Karnataka	GM/SWR	29AAACI0681C1ZV
22.	Goa	GM/SWR	30AAACI0681C1ZC
23.	Kerala	GM/SR	32AAACI0681C1Z8
24.	Tamil Nadu	GM/SR	33AAACI0681C1Z6
25.	Telangana	GM/SCR	36AAACI0681C1Z0
26.	Andhra Pradesh	GM/SCR	37AAACI0681C1ZY

P.T.O

IRFC's GSTIN on pre-page may be noted and circulated to all the concerned Departments of the Railways to enable them to take further necessary action as brought out in RBA No. 109/2019. This may kindly be treated as Most Urgent.

(V.Prakash)

**Joint Director/Accounts
Railway Board**

Copy to:-

1. PFAs of all Zonal Railways and Production Units;
2. ED/W, ED/WP, ED/RE, EDME/Projects, EDTK/P, EDTK/M, EDRS/G, EDFB & RM, EDFX-I, EDFX-II, Railway Board.
3. Director/Sig-I, DRS/IC, DTK/P, DTK/M, DD/L&F, Railway Board.
4. Managing Director, Indian Railway Finance Corporation Limited, Upper Ground, NBCC Building, Bhisham Pitamaha Marg, Pragati Vihar, Lodhi Road, New Delhi 110 003.
5. Managing Director, Centre for Railway Information Systems, Chanakyapuri, New Delhi.
6. Director/Finance, CRIS, New Delhi.
7. Mrs. Preeti Jha, GM/GSTM, CRIS, New Delhi.
8. Shri Vineet Dwivedi, GM/IPAS, CRIS, New Delhi.

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/ (RAILWAY BOARD)

आरबीए सं.6/2020

जीएसटी परिपत्र सं.3/2020

10 जनवरी, 2020

2018/एसी-III/1/57

महाप्रबंधक

सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

विषय:- आईआरएफसी का जीएसटीआईएन

बोर्ड के दिनांक 16 दिसंबर, 2019 के आरबीए सं. 109/2019 तहत जारी किए गए अनुदेशों के क्रम में, यह स्पष्ट किया गया है कि आईआरएफसी द्वारा विभिन्न राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में नीचे दिए गए जीएसटीआईएन के बारे में सूचित किया गया है।

क्र.सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र	उत्तर रेलवे का प्रधान अधिकारी	आईआरएफसी का जीएसटीआईएन
1.	जम्मू	महाप्रबंधक/उत्तर रेलवे	01एएएसीआई0681सी1जेडडी
2.	हिमाचल प्रदेश	महाप्रबंधक/उत्तर रेलवे	02एएएसीआई0681सी1जेडबी
3.	पंजाब	महाप्रबंधक/उत्तर रेलवे	अभी तक प्राप्त नहीं हुआ
4.	उत्तराखंड	महाप्रबंधक/उत्तर रेलवे	05एएएसीआई0681सी1जेड5
5.	हरियाणा	महाप्रबंधक/उत्तर रेलवे	06एएएसीआई0681सी1जेड3
6.	दिल्ली	महाप्रबंधक/उत्तर रेलवे	07एएएसीआई0681सी1जेड1
7.	राजस्थान	महाप्रबंधक/उत्तर पश्चिम रेलवे	08एएएसीआई0681सी1जेडजेड
8.	उत्तर प्रदेश	महाप्रबंधक/उत्तर मध्य रेलवे	09एएएसीआई0681सी1जेडएक्स
9.	बिहार	महाप्रबंधक/पूर्व मध्य रेलवे	10एएएसीआई0681सी1जेडई
10.	नागालैंड	महाप्रबंधक/उत्तर सीमा रेलवे	13एएएसीआई0681सी1जेड8
11.	मिजोरम	महाप्रबंधक/उत्तर सीमा रेलवे	अभी तक प्राप्त नहीं हुआ
12.	मेघालय	महाप्रबंधक/उत्तर सीमा रेलवे	17एएएसीआई0681सी1जेड0
13.	असम	महाप्रबंधक/उत्तर सीमा रेलवे	18एएएसीआई0681सी1जेडवाई
14.	पश्चिम बंगाल	महाप्रबंधक/पूर्व रेलवे	19एएएसीआई0681सी1जेडडब्ल्यू
15.	झारखंड	महाप्रबंधक/दक्षिण पूर्व रेलवे	अभी तक प्राप्त नहीं हुआ
16.	ओडिशा	महाप्रबंधक/पूर्व तट रेलवे	21एएएसीआई0681सी1जेडबी
17.	छत्तीसगढ़	महाप्रबंधक/दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	22एएएसीआई0681सी1जेड9
18.	मध्य प्रदेश	महाप्रबंधक/पश्चिम मध्य रेलवे	अभी तक प्राप्त नहीं हुआ
19.	गुजरात	महाप्रबंधक/ पश्चिम रेलवे	24एएएसीआई0681सी1जेड5
20.	महाराष्ट्र	महाप्रबंधक/मध्य रेलवे	27एएएसीआई0681सी1जेडजेड
21.	कर्नाटक	महाप्रबंधक/दक्षिण पश्चिम रेलवे	29एएएसीआई0681सी1जेडवी
22.	गोवा	महाप्रबंधक/ दक्षिण पश्चिम रेलवे	30एएएसीआई0681सी1जेडसी
23.	केरल	महाप्रबंधक/ दक्षिण रेलवे	32एएएसीआई0681सी1जेड8
24.	तमिलनाडु	महाप्रबंधक/ दक्षिण रेलवे	33एएएसीआई0681सी1जेड6
25.	तेलंगाना	महाप्रबंधक/दक्षिण मध्य रेलवे	36एएएसीआई0681सी1जेड0
26.	आंध्र प्रदेश	महाप्रबंधक/ दक्षिण मध्य रेलवे	37एएएसीआई0681सी1जेडवाई

पूर्व-पृष्ठ पर दिए गए आईआरएफसी के जीएसटीआईएन को नोट किया जाए एवं रेलों के सभी संबंधित विभागों को आगे की आवश्यक कार्रवाई करने हेतु परिष्वित किया जाए जैसा कि आरबीए सं. 109/2019 में स्पष्ट किया गया है। इसे अति आवश्यक समझा जाए।

ह.

(वी. प्रकाश)

संयुक्त निदेशक/लेखा
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. सभी क्षेत्रीय रेलों एवं उत्पादन इकाइयों के प्रधान वित्त सलाहकार;
2. कार्यपालक निदेशक/ डब्ल्यू, डब्ल्यूपी, आरई, एमई/परियोजना, टीके/पी, टीके/एम, आरएस/जी, एफबीएंडआरएम, एफएक्स-I, एफएक्स-II, रेलवे बोर्ड;
3. निदेशक/सिग-I, आरएस/आईसी, टीके/पी, टीके/एम उप निदेशक/एलएंडएफ, रेलवे बोर्ड.
4. प्रबंध निदेशक, भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड, ऊपरी तल, एनबीसीसी बिल्डिंग, भीष्म पितामह मार्ग, प्रगति विहार, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003.
5. प्रबंध निदेशक, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली.
6. निदेशक/वित्त, क्रिस, नई दिल्ली.
7. श्रीमती प्रीति झा, महाप्रबंधक/जीएसटीएम, क्रिस, नई दिल्ली.
8. श्री विनीत द्विवेदी, महाप्रबंधक/आईपीएस, क्रिस, नई दिल्ली.